

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 1(45)राज-6/2014/1

जयपुर, दिनांक:-24.02.2015

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 3 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा धौलपुर-सरमथुरा से गंगापुर सिटी तक रेल लाईन अगान परिवर्तन के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी धौलपुर, बाडी एवं सरमथुरा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कलक्टर के कृत्यों का पालन करने हेतु विशेष रूप से पदाभिहित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व ।
5. सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
7. जिला कलक्टर, धौलपुर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 24.02.2015 में प्रकाशन हेतु ।
11. राविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
12. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
13. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव